संख्या: 1/2017/3447/12-2-2016-23/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017

विषय: मृदा का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: शो0 एवं मृसर्वे0/1171/वि0स्वीकृति/16-17 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या: 15/2016/1034/12-2-2016-23/2012 दिनांक 10 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरंक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 141143 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 70571.50 हजार (रूपये सात करोड पांच लाख इकहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशि का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों/अधिकारियों की मांग के अनुसार धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यक होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत धनराशि सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाये, जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोल कर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषगार में आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के वगैर बैंक खाते में न जमा की जाये। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

7. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरंक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या: 1/2017/ 3447 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/ नियोजन अनुभाग-
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 1/2017/347/12-2-2016-23/2012 दिनांक 03 जनवरी, 2017 का

संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	प्राविधान(वित्तीय वर्ष 2016-17)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत वित्तीय हेतु प्रस्ताव
09-विद्युत देय	9100.00	4550.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	117393.00	58696.50
42- अन्य व्यय	14650.00	7325.00
योग:	**141143.00**	**70571.50**

(रूपये सात करोड पांच लाख इकहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।